

मध्यप्रदेश शासन  
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

**::आदेशः**

**भोपाल, दिनांक 25/11/2022**

क्रमांक एफ 16-18/2017/ए-ग्यारहः राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि जीएसटी प्रणाली लागू होने पर उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत प्रदान की जा रही सुविधा का लाभ इकाईयों को दिए जाने हेतु “विक्रय गणक” की गणना के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि विक्रय का आशय “विक्रय के मूल्य” से है एवं सुविधा/ सहायता की गणना में विक्रय गणक का आंकलन विक्रय मूल्य के आधार पर किया जाये।

**मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार**

  
(मनीष सिंह)

**प्रमुख सचिव**

**मध्यप्रदेश शासन**

**औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग**

पृ. क्रमांक एफ 16-18/2017/ए-ग्यारह  
प्रतिलिपि:-

**भोपाल, दिनांक 25/11/2022**

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पो.लि., भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
**प्रमुख सचिव**

**मध्यप्रदेश शासन**

**औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग**